न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 16 / 2025

मदनलाल पुत्र श्री पदमाराम् जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 3, चौहिलांवाली तहसील व जिला, हनुमानगढ़ राज.।

——निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत चौहिलांवाली, पंचायत समिति हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिये प्रशासक (सरपंच) ग्राम पंचायत चौहिलांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीयान

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध नोटिस क्रमांक 81—83 दिनांक 18.06.2025 जिसके अन्तर्गत प्रार्थी के भूखण्ड के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में गलीआग पर मिथ्या रूप से अतिक्रमण होना व्यक्त कर जबरन गली निकालने की धमकी दी गई। बगुराद अपास्त किये जाने उक्त नोटिस/आदेश व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना—पत्र

उपस्थितः— 1. श्री भवानी सिंह निवार्ण अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री प्रहलाद सुथार अभिभाषक अप्रार्थी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

—:निर्णय:—

दिनांकः—26.12.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता गांव चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ का स्थाई निवासी है। प्रार्थी व ग्रार्थी के परिवारजन के आवासीय मकान गांव चौहिलांवाली की आबादी भूमि में पश्चिम दिशा में स्थित है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन के पांच भूखण्डों में आवासीय मकान निर्मित किये हुये है व उनमें परिवारजन की परिवार सहित रिहायश है तथा इन आवासीय घरों के पिछे पश्चिम दिशा में प्रार्थी व उसके परिवारजन की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन के आवासीय भूखण्डों के पीछे व प्रार्थी व उसके परिवारजन की कृषि भूमि में प्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा बनसटिया व गोबर की खाद आदि डाली हुई है तथा पेड़—पौधे लगाये हुये है व एक मंदिर बना हुआ है व पानी की हौद भी बनाई हुई है तथा सिंचाई हेतु आड़ बनाई हुई है। प्रार्थी व उसके परिवारजन के भूखण्डों के पश्चिम दिशा में कोई गलीआम नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में आम रास्ता में काश्त कर रूडी व लकड़िया डालकर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर रखा होना मिथ्या रूप से व्यक्त कर प्रार्थी को नोटिस दिनांक 18.06.2025 प्रेषित कर उक्त अतिक्रमण को 7 दिवस में हटाने हेतु निर्देशित किया जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से आबादी भूमि व प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम दिशा के आम रास्ता के संबंध में नक्शा की मांग की लेकिन अप्रार्थी ने प्रार्थी को आबादी भूमि व प्रश्नगत रास्ता का नक्शा देने से इन्कार कर दिया है। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर भी अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। अप्रार्थी के वर्तमान सरपंच प्रार्थी से चुनावी रंजिश रखते है तथा उन्होनें पुनः प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन को नाजायज तंग परेशान करने के आशय से कतई गलत रूप प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में आम रास्ता में काश्त कर रूडी व लकड़िया डालकर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर रखा होना मिथ्या रूप से व्यक्त कर प्रार्थी को

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

नोटिस दिनांक 18.06.2025 प्रेषित कर उक्त अतिक्रमण को 7 दिवस में हटाने हेतु निर्देशित किया है। अप्रार्थी ने राजनैतिक रंजिश वश प्रार्थी के उक्त भूखण्ड के पश्चिम दिशा में अतिकमण होना व्यक्त कर जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत है जबकि नक्शा में भी उक्त स्थान पर कोई रास्ता नहीं है व ना ही कभी भी प्रश्नगत स्थल पर रास्ता चालू रहा है व ना ही उक्त स्थान पर कोई रास्ता की आवश्यकता है। अप्रार्थी द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 81–83 दिनांक 18.06.2025 कतई गलत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत, राजनैतिक द्वेषतापूर्ण व मनमाना तथा अनुचित है। अप्रार्थी ने उक्त नोटिस मौका की कोई जांच किये बिना मनमाना तौर पर पारित किया है। प्रार्थी के आवासीय घरों के पिछे पश्चिम दिशा में प्रार्थी व उसके परिवारजन की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन के आवासीय भूखण्डों के पीछे प्रार्थी व उसके परिवारजन ने कृषि भूमि में बनसटिया व गोबर की खाद आदि बाली हुई है तथा पेड़–पौधे लगाये हुये है व एक मंदिर बना हुआ है व पानी की हौद भी बनाई हुई है व सिंचाई हेतु आड़ चल रही है। प्रार्थी व उसके परिवारजन के उक्त भूखण्ड के पीछे कोई गलीआम नहीं है।अप्रार्थी के वर्तमान सरपंच प्रार्थी व उसके परिवार से चुनावी रंजिश रखते है तथा प्रार्थी के तंग परेशान करने के आशय से मिथ्या रूप से प्रार्थी व उसके परिवारजन के भूखण्डों के पश्चिम दिशा में गली होना व्यक्त कर रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत है बल्कि प्रार्थी के घरो के पीछे प्रार्थी व उसके परिवारजन की कृषि भूमि है, जिसको प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है व ना ही ग्राम पंचायत के अभिलेख में उक्त जगह पर रास्ता/गली दर्ज है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज कर अप्रार्थी द्वारा जबरन रास्ता निकालने की धमकी दी जा ही है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जायें तथा अप्रार्थी के नोटिस क्रमांक 81–83 दिनांक 18.06.2025 को अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीय की तलबी की गयी। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये अप्रार्थी के नोटिस क्रमांक 81–83 दिनांक 18.06.2025 को अपास्त फरमाया जावें।बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. DNJ 2013 (3) Page 1448
2. न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ निगरानी प्रकरण संख्या 21/2022 अनवान हरपाल बनाम ग्राम पंचायत व अन्य निर्णय दिनांक 24.09.2025

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत चौहिलावाली द्वारा जारी नोटिस कमांक 81–83 दिनांक 18.06.2025 जिसमें प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिमी दिशा में गली आम फिरनी पर अतिकमण होने के संबंध में दिया गया था, के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस दिनांक 18.06.2025 एक सूचना पत्र था जिस कारण प्रार्थी की उक्त निगरानी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 में वर्णित तथ्य कि राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य सरकार स्वः प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उपसमिति का अभिलेख, उसमें पारित किसी विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाही की अनियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को प्रतीत हो कि ऐसे किसी विनिश्चिय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचार भी प्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदानुसार आदेश पारित कर सकेगी। उक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को पंचायत

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

द्वारा जारी नोटिस के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने की विधिक अधिकारिता नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्रांम पंचायत चौहिलावाली को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़ के आदेश कमांक ईफाईल-02404-6832096 दिनांक 23.05.2025 व विकास अधिकारी पंचायत समिति, हनुमानगढ़ के पत्र राजस्थान सम्पर्क प्रकरण संख्या 062536323352587 दिनांक 23.06.2025 के अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनाक 05.06.2025 को ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही की जाकर प्रस्ताव संख्या 03 व 04 सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसमें ग्राम चौहिलावाली की पश्चिम दिशा में गली आम फिरनी की जगह पर लीलुराम पुत्र भादरराम, दुलीचन्द पुत्र भादरराम दिनेश पुत्र अमीलाल, मदनलाल व प्रभुदयाल पुत्र पदमाराम जाति जाट ने अतिक्रमण करने के कारण उक्त प्रस्ताव की अनुपालना में प्रथम नोटिस दिनांक 09.06.2025 व द्वितीय नोटिस दिनांक 18.06.2025 ग्राम पंचायत चौहिलावाली के द्वारा जारी किये गये थे। उक्त अतिकमियों के पास उक्त फिरनी की जगह पर अतिक्रमण / कब्जा के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड एंवम मालिकाना हक होने के संबध में कोई दस्तावेज पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था व विधिविरूद्ध तरीके से उक्त नोटिस दिनांक 18.06.2025 की आड़ में यह निगरानी प्रस्तुत की गई व स्थगन आदेश प्राप्त किया गया जिससे ग्राम पंचायत को अपने उक्त प्रस्ताव की अनुपालना करने से रोका गया जिससे ग्राम चौहिलावाली के 200 घरों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। प्रार्थी व अन्य द्वारा ग्राम पंचायत चौहिलावाली की 5 बीघा लम्बी व 30 फुट चौडी फिरनी की जगह पर अतिक्रमण कर रखा है इस फिरनी की भूमि के आगे पीछे की भूमि पर रास्ता चालू है। उक्त अतिकमियों द्वारा इस भूमि पर अत्यधिक मिटटी का भराव कर रखा है जिससे गांव के बरसात का पानी खेतों में नहीं जा पाता है जिस कारण गांव के बरसात का पानी स्कूल व वाटरवर्क्स की डिग्गी में चला जाता है जिससे सरकारी सम्पदा को नुकसान पहुंचता है। इस वर्ष हुई अत्यधिक बरसात का पानी जो इस फिरनी की भूमि के पास इकटठा हो गया था व वाटरवर्क्स व स्कूल में भर गया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा जरिये ट्रेक्टर पम्प से लिफट कर निकाला गया था। ग्रांम पंचायत चौहिलावाली के दक्षिण दिशा की फिरनी चालू है जो इस फिरनी से पश्चिमी दिशा से जुडती है गांव चौहिलावाली के पश्चिमी दिशा में स्थित चक 26 एनडीआर बी की कृषि भूमि का रास्ता जो गांव में प्रवेश करता है व गांव चौहिलावाली के दक्षिण दिशा में स्थित चक 14 एमडब्ल्युएम की कृषि भूमि का रास्ता दक्षिणी दिशा की चालू फिरनी से गांव में प्रवेश करता है। उक्त दोनों चको की कृषि भूमि के प्रमाणित नक्शे पटवारी हल्का चौहिलावाली द्वारा जारी किये गये है। ग्राम चौहिलावाली के कृष्णा पत्नी रणजीत व रणजीत पुत्र मलूराम द्वारा भी दक्षिण दिशा की फिरनी के संबध में रिविजन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो बअनवानी कृष्णा बनाम ग्राम पंचायत आदि जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2025 को निर्णीत करते हुए खारिज की गई थी। निगरानीकर्ता/प्रार्थी के पास उक्त भूमि पर काबिज होने के संबंध में कोई भी राजस्व दस्तावेज नहीं है ग्रांम पचांयत की भूमि पर अतिक्रमण कर ग्रांम के दो सौ घरों के लोगों का रास्ता अवरूद्ध कर रखा है जिससे उक्त लोग अपने खेतों में करीब 3 किलोमीटर घुमकर अपने खेतो में जाते है जिससे उन्हे भारी आवागमन की असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के समय अत्यधिक बरसात होने से गांव चौहिलावाली का पानी गांव के सरकारीस्कूल व वाटरवर्क्स की डिग्गियों में जाता है जिससे सरकारी सम्पदा को नुकसान होता है तथा गांव में बरसात के गन्दे पानी से लोगों के स्वास्थय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा महामारी होने की सम्भावना बढ़ जाती है। जिला परिषद हनुमानगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिति हनुमानगढ के विकास अधिकारी के आदेशों की अनुपालना में गाम पंचायत चौहिलावाली द्वारा गांव के लोगों के आवागमन की

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सुविधा हेतू उक्त फिरनी की जगह को अतिक्रमण मुक्त कर रास्ता निकालने के लिए कार्य कर रही है। निगरानीकर्ता व उसके परिवार के अन्य द्वारा अपनी कृषि भूमि व घरों के बीच फिरनी की 5 बीघा लम्बी व 30 फुट चौडी सरकारी जगह पर जानबुझकर अतिक्रमण कर लोगों को रास्ते की सुविधा से वंचित कर रखा है। ग्राम पंचायत द्वारा जरिये ड्रोन ग्राम चौहिलावाली की आबादी भूमि का नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि व ग्राम सचिव द्वारा गांव की आबादी भूमि का नजरिया नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में प्रस्तुत की गई है जिसमें पीले रंग से दर्शित की गई भूमि पर प्रार्थी निगरानीकर्ता व अन्य द्वारा फिरनी की जगह पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे अतिक्रमण को हटाकर गाव के लोगों को आवागमन हेतू रास्ता निकालना अति आवश्यक है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जाये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. ग्राम पंचायत चौहिलांवाली पंचायत समिति हनुमानगढ़ के नोटिस क्रमांक 81–83 दिनांक 18.06.2025 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त विवादित भूमि से सम्बधित न तो निगरानीकर्ता के पास मालिकाना हक का कोई दस्तावेज है और ना ही ग्राम पंचायत के पास आम रास्ता/फिरनी होने का कोई अधिकृत दस्तावेज है। परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि उक्त विवादित भूमि आबादी भूमि है। निगरानीकर्ता का कोई कानुनी हक साबित नही होता है
3. अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर DNJ 2013 (3) Page 1448 अतिक्रमण के सम्बध में है, लेकिन नगरपालिका नक्शा प्रस्तुत नही करने के सम्बध में है। हस्तगत प्रकरण में भूमि आबादी होना स्पष्ट है। अतः मेरी राय में चस्पा नही होती है।
4. द्वितीय न्यायिक नजीर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.09.2025 प्रस्तुत की गई है वह रास्ते की चौडाई के सम्बन्ध में होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

सुविधा हेतू उक्त फिरनी की जगह को अतिक्रमण मुक्त कर रास्ता निकालने के लिए कार्य कर रही है। निगरानीकर्ता व उसके परिवार के अन्य द्वारा अपनी कृषि भूमि व घरों के बीच फिरनी की 5 बीघा लम्बी व 30 फुट चौडी सरकारी जगह पर जानवुझकर अतिक्रमण कर लोगों को रास्ते की सुविधा से वंचित कर रखा है। ग्राम पंचायत द्वारा जरिये ड्रोन ग्राम चौहिलावाली की आबादी भूमि का नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि व ग्राम सचिव द्वारा गांव की आबादी भूमि का नजरिया नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में प्रस्तुत की गई है जिसमें पीले रंग से दर्शित की गई भूमि पर प्रार्थी निगरानीकर्ता व अन्य द्वारा फिरनी की जगह पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे अतिक्रमण को हटाकर गाव के लोगों को आवागमन हेतू रास्ता निकालना अति आवश्यक है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जाये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. ग्राम पंचायत चौहिलांवाली पंचायत समिति हनुमानगढ़ के नोटिस क्रमांक 81–83 दिनांक 18.06.2025 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त विवादित भूमि से सम्बधित न तो निगरानीकर्ता के पास मालिकाना हक का कोई दस्तावेज है और ना ही ग्राम पंचायत के पास आम रास्ता/फिरनी होने का कोई अधिकृत दस्तावेज है। परन्तु यह निंविवाद सत्य है कि उक्त विवादित भूमि आबादी भूमि है। निगरानीकर्ता का कोई कानुनी हक साबित नही होता है
3. अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर DNJ 2013 (3) Page 1448 अतिक्रमण के सम्बध में है, लेकिन नगरपालिका नक्शा प्रस्तुत नही करने के सम्बध में है। हस्तगत प्रकरण में भूमि आबादी होना स्पष्ट है। अतः मेरी राय में चस्पा नही होती है।
4. द्वितीय न्यायिक नजीर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.09.2025 प्रस्तुत की गई है वह रास्ते की चौडाई के सम्बन्ध में होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़ (राज.)